3—अवकाश

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांकः 31—12—2003 के प्रस्तर—7 व 11 का स्पष्टीकरण।	सं0:— 67 / xxvii(7)5(1) / 2011 दिनांकः 08 जून, 2011	17—18
2	राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।	सं0:—207 / xxvii(7)34 / 2011 दिनांकः 13 अक्टूबर, 2011	19—20
3	राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवको को प्रसूति अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त वेतन भुगतान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं0:— 01 / xxvii(7)34(1) / 2009 दिनांकः 20 जून, 2012	21—22

संख्याः 67 / xxvii(7)5(1) / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 जून,2011

विषयः–सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 31–12–2003 के प्रस्तर–7 व 11 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1115 / वित्त अनु0–3 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर,2003 के प्रस्तर–7 जो कि अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते पर अनुमन्य होगी। गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपति नहीं होगी, परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिए सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा, पर कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही इस जिज्ञासा के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय कि उपरिउल्लिखित शासनादेश के उपरोक्त बिन्दु प्रस्तर–7 में व्यवस्था वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 14 A(1) के अनुसार सीधी दूरी एक उपलब्ध रास्ते के अनुसार आगणन की व्यवस्था की गई है अतः शासनादेश के प्रस्तर–7 व 11 को निम्नवत् स्पष्ट किये जाने की एतदद्वारा स्थिति स्पष्ट की जाती है।

1– यदि कोई सरकारी सेवक भारत वर्ष में यात्रा अवकाश सुविधा लेता है तब उसे यात्रा के स्थान से गन्तव्य स्थान तक आने–जाने के लिए न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी तथा गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकते है अथवा अवस्थान करते हैं तब भी उन्हें किराया निर्धारित दूरी के सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

2– जिन स्थान पर रेल से जाने की सुविधा नहीं है तब वह स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सड़क या नौका वाहन के साधन द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं, ऐसी स्थिती में यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय संबंधित क्षेत्र की सरकारी संस्था द्वारा लागू किराये के अनुसार ही दावे की प्रतिपूर्ति उस यात्रा की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर की जाएगी। ऐसी स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि संबंधित स्थान पर रेल सुविधा नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 67 (1)/XXVII(7)5(1)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या२०7 / xxvii(7)34 / 2011
देहरादून, दिनांक: 13 अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तो के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकतें हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

संख्या :207 (1)/XXVII(7)34/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः /xxvii(7)34(1)/2009
देहरादून, दिनांकः 20 जून,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवको को प्रसूति अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त वेतन भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अस्थायी/स्थायी महिला कार्मिकों को कार्यालय ज्ञाप संख्याःसा–04–394/दस–99–216/79 दिनांक 04–06–1999 द्वारा अनुमन्य 135 दिन के प्रसूति अवकाश की सीमा को कार्यालय ज्ञाप संख्याः 250/XXVII(7)/2009 दिनांक 24–08–2009 द्वारा 180 दिन किया गया तथा अवकाश की अनुमन्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्याः360/XXVII(7)/2009 दिनांक 14–12–2009 द्वारा स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–02, भाग–02 से 04 के सहायक नियम 153 एवं 154 में प्रसूति अवकाश से संबंधित व्यवस्था की गई है परन्तु वेतन भुगतान की अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि संबंधित कार्मिक को प्रसूति अवकाश की समाप्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने पर वेतन का भुगतान किया जायेगा अथवा नियमित रूप से प्रति माह वेतन का भुगतान किया जायेगा।

2– उक्त स्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सरकारी सेवक को प्रसूति अवकाश अनुमन्य करने का उदेश्य बच्चे की देख–भाल के लिए सुविधा अनुमन्य कराया जाना है। अतः प्रसूति अवकाश स्वीकृत होने के उपरान्त प्रतिमाह वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जाय परन्तु यह व्यवस्था गर्भपात तथा गर्भश्राव के मामलों में जो प्रसूति अवकाश के अन्तर्गत ही आते है, के संबंध में लागू नहीं होगी क्योंकि सहायक नियम 153(2) के अनुसार इसकी स्वीकृति के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न होना आवश्यक है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव ।

संख्या : 01 (1) / XXVII(7)34(1) / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. स्थानीय आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. वित्त आडिट ! कोष्ट, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।